2004 का विधेयक संख्यांक 7

[दि एप्रोप्रिएशन बिल, 2004 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग विधेयक, 2004

वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियां के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग अधिनियम, 2004 है ।

वर्ष 2003-04 के लिए भारत की संचित निधि में से 3,11,05,02,00,000 रुपए का निकाला जाना।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन खरब, ग्यारह अरब, पांच करोड़, दो लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

website: http://indiabudget.nic.in

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2		3		
			निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
1	कृषि और सहकारिता विभाग	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
4	कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय	राजस्व	50,00,00,000	..	50,00,00,000
5	परमाणु ऊर्जा	पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
6	न्यूक्लीयर विद्युत स्कीमें	पूंजी	2,57,60,00,000	..	2,57,60,00,000
8	उर्वरक विभाग	राजस्व	88,38,00,000	..	88,38,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
11	खान मंत्रालय	पूंजी	93,84,00,000	..	93,84,00,000
12	वाणिज्य विभाग	राजस्व	5,61,00,000	20,00,000	5,81,00,000
13	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
14	डाक विभाग	राजस्व	2,11,16,00,000	15,00,000	2,11,31,00,000
		पूंजी	..	16,00,000	16,00,000
15	दूर-संचार विभाग	राजस्व	2,75,62,00,000	..	2,75,62,00,000
16	सूचना प्रोद्योगिकी विभाग	राजस्व	7,51,00,000	..	7,51,00,000
		पूंजी	20,00,00,000	..	20,00,00,000
19	रक्षा मंत्रालय	राजस्व	2,48,92,00,000	..	2,48,92,00,000
21	रक्षा सेवाएं--सेना	राजस्व	..	2,00,00,000	2,00,00,000
24	रक्षा आयुध कारखाने	राजस्व	2,38,04,00,000	..	2,38,04,00,000
25	रक्षा सेवाएं--अनुसंधान और विकास	राजस्व	..	14,00,000	14,00,000
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
28	विनिवेश मंत्रालय	राजस्व	20,63,00,000	..	20,63,00,000
29	पर्यावरण और वन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
31	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
32	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टांप	राजस्व	..	16,00,000	16,00,000
33	वित्तीय संस्थाओं को संदाय	राजस्व	7,86,00,00,000	..	7,86,00,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
	भारित--ब्याज अदायगियां	राजस्व	..	47,29,84,00,000	47,29,84,00,000
	भारित--ऋण का प्रतिसंदाय	पूंजी	..	2,17,01,79,00,000	2,17,01,79,00,000
38	व्यय विभाग	राजस्व	1,20,00,000	..	1,20,00,000
40	भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	46,18,00,000	95,00,000	47,13,00,000
43	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	1,39,00,00,000	..	1,39,00,00,000
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
46	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	90,02,00,000	..	90,02,00,000
47	भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
48	परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
51	गृह मंत्रालय	राजस्व	32,64,00,000	..	32,64,00,000
		पूंजी	3,05,00,000	..	3,05,00,000
52	मंत्रिमंडल	राजस्व	48,15,00,000	7,00,000	48,22,00,000
		पूंजी	4,38,00,000	..	4,38,00,000
53	पुलिस	राजस्व	8,45,37,00,000	91,00,000	8,46,28,00,000
		पूंजी	2,51,00,00,000	25,00,000	2,51,25,00,000
54	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
55	संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	1,24,00,000	..	1,24,00,000
57	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
60	श्रम मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
62	विधि और न्याय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
	भारित--भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	..	6,46,00,000	6,46,00,000

website: http://indiabudget.nic.in

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
66	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,72,00,000	..	1,72,00,000
67	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	पूंजी	60,00,000	..	60,00,000
68	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	3,19,36,00,000	..	3,19,36,00,000
70	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
	भारित--राष्ट्रपति के कर्मचारिवृन्द, घरेलू सामान और भत्ते	राजस्व	..	60,00,000	60,00,000
72	लोक सभा	राजस्व	2,95,00,000	57,00,000	3,52,00,000
73	राज्य सभा	राजस्व	7,54,00,000	19,00,000	7,73,00,000
	भारित--संघ लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	77,00,000	77,00,000
76	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	4,28,00,000	..	4,28,00,000
		पूंजी	1,00,000	10,00,000	11,00,000
77	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	3,61,00,000	..	3,61,00,000
79	पेय जल आपूर्ति विभाग	राजस्व	20,01,00,000	..	20,01,00,000
80	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
82	जैव प्रोद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
83	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	..	8,00,00,000	8,00,00,000
84	लघु उद्योग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
87	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	1,00,00,00,000	..	1,00,00,00,000
89	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
90	संस्कृति विभाग	राजस्व	6,71,00,000	..	6,71,00,000
93	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	8,36,00,000	..	8,36,00,000
94	चंडीगढ़	राजस्व	1,00,000	1,15,00,000	1,16,00,000
		पूंजी	2,17,00,000	..	2,17,00,000
95	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	75,52,00,000	..	75,52,00,000
97	लक्षद्वीप	पूंजी	2,24,00,000	..	2,24,00,000
98	शहरी विकास विभाग	राजस्व	75,51,00,000	..	75,51,00,000
		पूंजी	2,50,01,00,000	2,47,00,000	2,52,48,00,000
99	लोक निर्माण	पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
101	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
102	जल संसाधन मंत्रालय	पूंजी	1,53,00,000	..	1,53,00,000
103	युवा मामले और खेल मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		योग	**46,48,09,00,000**	**2,64,56,93,00,000**	**3,11,05,02,00,000**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है । यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए हैं जो, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और रेलों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक हैं।

जसवंत सिंह

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा लोक सभा के महासचिव को 30 जनवरी, 2004 को भेजे गए पत्र सं0 फा0 4(1)-बी(एसडी)/2004 की प्रति]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से, कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(1) और (3) के अधीन विनियोग विधेयक, 2004 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने और उस पर विचार भी किए जाने की सिफारिश करते हैं।

website: http://indiabudget.nic.in